मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
सहकारिता विभाग

क्रमांक/ 264/394/2014/15-1 भोपाल दिनांक 19/02/2014

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,जिला पंचायत (समस्त)
3. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता (समस्त)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (समस्त)

विषय :— महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में "आनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण" हेतु दिशा—निर्देश।

संदर्भ :— म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्र./9701/MGNGEGS-MP/NR-3/2013, दि. 24.12.13

——0——

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में "अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण" हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। दृष्टिपत्र 2018 के बिन्दु क्रमांक 19 अध्याय 1 कृषि सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्रमांक 1.E.2.1 में वर्णित प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 10820 उचित मूल्य के दुकानों के संचालन स्थलों में 100 मेट्रिक टन क्षमता वाले अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कराया जाना है।

अतएव राज्य शासन के दृष्टि पत्र के उक्त महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ति हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से यह पत्र जारी किया जा रहा है, जिससे दोनों विभागों के मैदानी अधिकारी/कर्मचारी उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही संपादित करें। संदर्भित परिपत्र के अनुसार भूमि का आवंटन सहकारिता विभाग द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना है। अतः समस्त उप/सहायक आयुक्त सहकारिता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से अपेक्षा है कि आगामी 10 दिवस में आवश्यक भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें तथा समस्त कलेक्टरों से विशेष रूप से यह अपेक्षित है कि भूमि आवंटन की त्वरित कार्यवाही करें एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2014—15 में जिन ग्रामों में अनाज भण्डारण हेतु गोदाम का निर्माण होना है तथा जहां स्थल की पर्याप्त उपलब्धता है, उन ग्रामों/ग्राम पंचायतों की आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्ययोजना शामिल कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

(अजीत केसरी)
प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,
सहकारिता विभाग

(डॉ.अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ 265 /394/2014/15-1 , भोपाल दिनांक 19/2/2014

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
02. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग
03. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
04. प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल।
05. आयुक्त, मनरेगा।
06. आयुक्त, पंचायतीराज।
07. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.भोपाल।
08. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.।
09. संभागायुक्त, (समस्त)।
10. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, (समस्त) संभाग।
11. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
सहकारिता विभाग

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग